

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 855  
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियां

855. श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विशेषकर महिलाओं में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रदान किए गए रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र के उद्योगों में वित्तीय संकट से उत्पन्न बेरोजगारी की गंभीर स्थिति पर ध्यान दिया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी गंवाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाया जा है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 5.8%, 4.8% एवं 4.2% थी।

वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 5.1%, 4.2% एवं 3.5% थी जो कि देश में महिला बेरोजगारी दर में गिरावट को दर्शाता है।

(ख) से (ड): उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष 2018-19 में 5.0% की तुलना में 2020-21 में घटकर 3.7% हो गई है। जो दर्शाता है कि राज्य में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पीएलएफएस रिपोर्टों के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों की अनुमानित संख्या अनुबंध में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 9.74 लाख लाभार्थियों को 1185.04 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत 4,378 करोड़ रुपए की राशि के 37.68 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 298 करोड़ रुपए की राशि के 2.5 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 15.56 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.76 करोड़ ऋण संवितरित किए गए। महाराष्ट्र में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान (दिनांक 25.11.2022 तक) 17,524.66 करोड़ रुपए की राशि के 25.39 लाख ऋण संवितरित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा के दिनांक 12.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 855 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों की अनुमानित संख्या

(करोड़ में)

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग प्रभाग	2017-18	2018-19	2019-20
कृषि	20.0	19.9	23.3
खनन और उत्खनन	0.2	0.2	0.2
विनिर्माण	5.7	6.1	6.2
विद्युत, जल आदि	0.3	0.3	0.4
निर्माण	5.7	5.9	6.2
व्यापार, होटल और रेस्तरां	5.9	6.4	7.5
परिवहन, भंडारण और संचार	2.8	3.0	3.2
अन्य सेवाएं	6.5	7.1	6.7
<b>योग</b>	<b>47.1</b>	<b>48.8</b>	<b>53.6</b>

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण